(6)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विदिशा (म.प्र.)

दूरभाष : (कार्या.) 07592-234520, (नि.) : 07592-234530, (फैक्स) : 07592-237854, ई-मेल : [illegible]

क0 क्यू/एसडब्ल्यू/2009/8936 विदिशा, दिनांक– 14-8-09

प्रति,

संचालक
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छठी मंजिल, बी–विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली.

विषय :– ग्राम नूरपुर टपरा थाना त्योंदा तहसील बासौदा में छात्राओं के साथ घटित घटना के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक/न्यूज/1/09 दिनांक 06.08.09.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस विषय में पूर्व में कार्यालयीन पत्र क0/क्यू/एस0डब्ल्यू0/09/8311 दिनांक 30.07.09 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन श्री आर0के0 दुबे, सहायक निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है। स्पष्टतया धारा 354 आई0पी0सी0 के साथ एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत भी कार्यवाही प्रारंभ से ही की गई है। पुलिस अधीक्षक, विदिशा से पुनः उक्त घटना के संबंध में प्रगति की जानकारी चाही गई। उनके द्वारा उल्लेख किया है कि उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत ही प्रकरण अनुसंधान में लिया जाकर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत ही न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

घटना का विवरण निम्नानुसार है :–

ग्राम नूरपुर टपरा, थाना त्योंदा में स्कूली आदिवासी छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने की सूचना थाना प्रभारी त्योंदा को प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंच कर घटना की प्राथमिक जांच उपरांत अपराध कमांक 131/09 धारा 354–ए भा0द0वि0 तथा 3 (1) 11 एस0सी0एस0टी0 एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसका अनुसंधान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बासौदा श्री एस0एस0 गौर द्वारा किया गया। अनुसंधान के दरम्यान आई साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत ही विवेचना पूर्ण होने से चालान कमांक 112/09 दिनांक 04.08.09 कता किया गया है, जो दिनांक 12.08.09 को न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका प्रकरण कमांक 969/09 है।

पुलिस अधीक्षक, विदिशा ने यह भी अवगत कराया है कि पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राहत प्रकरण तैयार किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग से राहत राशि स्वीकृत होने पर पीड़ितों को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी।

कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी
विदिशा

my doc//com2//sw/150